

19/01/23
वकीलाय पत्रकारिता / पीठापीन
अधिकारी
होम से प्रकरण नं. 4/2/23
को पेश हों।

आज्ञा से

डी
रीडर

4.9.23

पत्रावली पेश हुई बादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए
बादी अधिवक्ता लम्बे समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
बादी अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा कब-कब कर तीन बार
अज्ञात लगवाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ।
बादी अधिवक्ता को प्रतिवर्तीकरण भी नामिल हेतु पूर्व में अन्तिम
अवसर दिया जा चुका है बादी आज भी न्यायालय समय
समाप्त तक उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट होता है कि
बादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं एवं न ही कार्यवाही
कराना चाहता है।

अतः बादी का वाद आदेश 9 नवंबर 8 के तहत अदम
टाजरी अदम पैसी में खारिज किया जाता है। निर्णय तुरंत अज्ञात
बुनाया जाय प्रकरण फैसल शुमार होना नम्बर से कम हो।

Jernoo

प्रतिभा रमा

उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर